संख्या-17/2025/001-74-24-1-2025-74-2025

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
उप सचिव,
उशासन। 0प्र0

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0पावर कारपोरेशन लि 0प्र0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 20 फरवरी, 2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ0प्र0 रिन्यूवेल एण्ड ई0वी0 इफ्रास्ट्रक्चर लि0 में यू0पी0पी0सी0 एल0 के निवेश हेतु अंशपूँजी की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1220/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/2024-25/453, दिनांक 16 जनवरी, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ0प्र0 उ0प्र0 रिन्यूवेल एण्ड ई0वी0 इफ्रास्ट्रक्चर लि0 में यू0पी0पी0सी0 एल0 के निवेश हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 5,00,00,000/- (रूपये पॉच करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(3) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

(4) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 5,00,00,000/- (रूपये पॉच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष 4801051902200 उ0प्र0 रिन्यूवेल एण्ड ई0वी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 में यू0पी0पी0सी0एल0 के निवेश हेतु अंशपूॅजी मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-113-X-2024-25-दिनांक: 15-2-मे प्राप्त 2025 वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।

संख्या-17/2025/001-74(1)-24-1-2025-74 -2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम/(लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001
3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।